न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।
उपस्थित – **संध्या चौधरी,** एच0जे0एस0
JO Code-UP6161
****

अग्रिम जमानत आवेदनपत्र संख्या–1597 / 2026
UPST010050932026

1–हरिकृपाल सिंह पुत्र जोखू सिंह

2–संजय सिंह पुत्र हरि कृपाल सिंह

निवासीगण ग्राम खुनशेखपुर पैगूपुर, थाना लम्भुआ, जिला सुलतानपुर

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश । .....अभियोगी

अ0सं0–166 / 2026
धारा–109(1),115(2),3(5),333,351(3),352 बी0एन0एस0
थाना–लम्भुआ, जिला–सुलतानपुर।

दिनांक: 05.06.2026

1. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण हरिकृपाल सिंह एवं संजय सिंह की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, उपरोक्त मामले में अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 में जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र अभियुक्तगण द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो किसी न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

3. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गांव के ही हरिकृपाल सिंह, संजय सिंह, नवीन सिंह, अनुज सिंह से जमीन का मुख्य विवाद है उक्त लोगों के उकसावे व साजिश के तहत दिनांक 19.05.2026 को सुबह लगभग 08.30 बजे जमीनी विवाद में गांव के ही राजेन्द्र गुप्ता, सभाजीत, राजमणिपाल, जिलाजीत पाल, रामजीत पाल, रमेश पाल, सर्वेश पाल, जय देवी, ओमप्रकाश, कुलदीप व रणजीत एवं 7–8 अज्ञात लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर उक्त लोगएक राय होकर मां बहन की गाली देते हुए घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार, ईंट, लाठी व डण्डे से वादी पर हमला कर दिये। बचाने दौडी वादी की मां व पिता एवं बहन को भी उक्त लोग लाठी–डण्डे व धारदार हथियार से हमला बोल दिये एवं मारने लगे, जिससे वादी का सिर फट गया एवं शरीर के अन्य हिस्सों में भी काफी गम्भीर चोटें आयी है। वादी की मां, बहन एवं पिता को भी गम्भीर चोटें आयी है। हल्ला गुहार होने पर लोगों को आता देख उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उक्त लोग दबंग किस्म के व्यक्ति है।

4. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क रखा है कि यह कि

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में और न ही किसी सक्षम न्यायालय में दिया गया है न विचाराधीन है। प्रार्थीगण दोषसिद्ध अपराधी नहीं है। प्रार्थीगण पूर्णतया निर्दोष है कथित अभियोग में महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की गरज से जमीनी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण को उक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थीगण का मामला धारा 482 बी0एन0एस0एस0 की उपधारा 6 में वर्णित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थीगण एक सम्मानित व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण के फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण दौरान अग्रिम जमानत अन्वेषण, जांच व विचारण में सहयोग प्रदान करेंगे और न्यायालय के समक्ष तथा पुलिस अधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। कथित प्राथमिकी में किसी भी स्वतन्त्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हीं कथनों के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा सत्यप्रकाश पाल उर्फ ओमप्रकाश पाल के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त राजेन्द्र गुप्ता आदि के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। चोटहिलों के चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली में संलग्न है। चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चोटहिल सत्यप्रकाश पाल के शरीर पर कुल 4 चोटें पायी गयी। चोटहिल रामकुमार के शरीर पर कुल 2 चोंटें पायी गयी। उपर्युक्त से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है और पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस स्तर पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि–व्यवस्था **पी0 चिदम्बरम बनाम डायरेक्टरेट आफ इन्फोर्समेंट एस0आई0आर0 2019 एस0सी0 4198** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विनिश्चयन किया गया कि 'अग्रिम जमानत मात्र उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह समाधान हो जाये, कि अभियुक्त के विरूद्ध घटना कारित करने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अग्रिम जमानत का अस्वीकार किया जाना किसी के दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। अग्रिम जमानत एक अपवादिक अनुतोष है जिसे मात्र अपवादिक परिस्थितियों में ही प्रदान किया

जाना चाहिए।' इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि–व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य एन0सी0टी0 (दिल्ली) एवं अन्य (2020) (एस) एस०सी०सी० (संवैधानिक पीठ)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह विनिश्चयन किया गया कि 'धारा 438 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अग्रिम जमानत का उपयोग यदा–कदा मात्र विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का उपयोग न्यायालय द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं करना चाहिए। अग्रिम जमानत एक ऐसा प्रावधान है, जो कि एक सीमित परिधि में होती है। न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग मात्र उन्हीं परिस्थितियों में करना चाहिये, जबकि अभियोजन प्रपत्रों से यह तथ्य प्रकट होता हो, कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी प्रथमदृष्टया केस घटित हो रहा है।' अतएव पत्रावली पर इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष आधारित किया जा सके कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मात्र अपमानित करने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जा सकता है। अतः प्रकरण की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण हरिकृपाल सिंह एवं संजय सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

sd/-
(संध्या चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।
JO Code-UP6161

दिनांक 05.06.2026

(रोहित कुमार, आशुलिपिक)